**संख्या-5/2017/1421/60-1-17-1/13 (116)/13**

प्रेषक,

पंचम राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 03 अगस्त , 2017

विषयः- आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्वैच्छिक संगठन ''अवध ग्रामीण विकास संस्थान" धम्मौर, सुल्तानपुर में संचालित बाल गृह (बालिका) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम किश्त (अप्रैल, 2017 से जून 2017) हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-355/म0क0निदे0/ प्रोबे0/स्वै0सं0/ 2017-18, दिनांक 22.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उक्त स्वैच्छिक संस्था को रू0 6,58,710/- (रू0 छः लाख अठ्ठावन हजार सात सौ दस मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त (अप्रैल, 2017 से जून 2017) के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0स0 | मानक मद | प्राविधान (धनराशि रूपये में) | प्रस्तावित (धनराशि रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) | 70000000/- | रू0 6,58,710/- (रू0 छः लाख अठ्ठावन हजार सात सौ दस मात्र) |
| | कुल योग | 70000000/- | रू0 6,58,710/- (रू0 छः लाख अठ्ठावन हजार सात सौ दस मात्र) |

2- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाषीर्शक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाजकल्याण-102-बालकल्याण-01-केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द् द्वारा पुरोनिधानित योजनायें -0117-स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक /बालिका) का संचालन (के0 60/रा0 30/स्वै0 10-के0+रा0+स्वै0) -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशालय महिला कल्याण के माध्यम से किया जायेगा। पूर्व स्वीकृत धनराशि तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0- बी-1 02/दस-2017-231, दिनांक 02.01.2017 के अनुसार किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पंचम राम)
अनु सचिव।

**संख्या-5/2017/1421(1)/60-1-17, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 ।
5- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2 ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंचम राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।